तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... जो इस...
15/5/23	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। अतः पत्रावली पेश ज0 प्र0 7R।। साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। एवं वाद वादग्रस्त संख्या 1/30/2022 खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर ह0 कि0 किया गया पत्रावली लेबल शुमार होकर नम्बर से कम हो जिला अभिलेखागार भेजा जावे। [illegible] हो [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी– लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

प्रकरण संख्या 1/30/2022

बच्चू बनाम भगवानसिंह वगैरा

दावा इस्तकराहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

दिनांक 15.05.2023

उपस्थित

श्री राधाबल्लभ शर्मा– अधिवक्ता वादीगण

श्री धनश्याम शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादीगण

आदेश

प्रतिवादीगण भगवानसिंह, हरवीर, रणवीर, रोहताश ने यह प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 दिनांक 29.08.2022 को पेश कर कथन किया कि वादीगण ने अपना दावा अदालत श्रीमान में अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा को आधार बनाकर पेश किया है। कानूनन अन रजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है सिविल न्यायालय को है। इस वजह से वादीगण का दावा क्षैत्राधिकार से प्रतिबन्धित होने से खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र की नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण ने प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि दावान्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 122, 258, 276 वाके ग्राम ईसरोती का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पिता चेतराम ने प्रतिवादी सं0 2 ला0 4 के पिता सुखराम से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

...प्रतिवादीगण का ...

दिनांक 23.03.1979 को मौके पर कब्जा प्राप्त कर वादीगण के पिता रामस्वरूप द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीद की हुई आराजी है। वादीगण विवादित आराजी पर करीब 45 साल से मौके पर कब्जे काश्त में है। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व ओल्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाये जाने वावत है ऐसी स्थिति में प्रकरण हाजा पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादीगण ने जो ईकरारनामा पेश किया है वो फर्जी व बनावटी है तथा अनरजिस्टर्ड है प्रतिवादीगण के पिता ने कभी अपनी जमीन का वेचान वादीगण के पिता के हक में नहीं किया और ना वादीगण का मौके पर कब्जा है। अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर वाद सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है जिस कारण वाद वादीगण क्षैत्राधिकार से प्रतिबन्धित होने के कारण खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में आर आर टी 2012(1) पेज 332 की छाया प्रति पेश की है।

इसी कदर विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते कथन किया कि उक्त आराजी वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिताओं से जरिये ईकरारनामा खरीद की है वाद खरीद से ही वादीगण के पिता व वादीगण काविज है वादीगण का वाद खातेदारी की घोषणा कराने वावत है जिसे सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। इस वजह से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी कानूनी नजीर का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निम्न तीन विन्दुओं पर पर तय किया जावेगा।

1. जहां वाद–हेतुक (Cause of Action) प्रकट नहीं करता हो।
2. जहां वाद उचित कोर्ट फीस (Court Fee) प्रकट नहीं करता हो।
3. जहां वाद विधि से बर्जित हो।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना में पक्षकारान के मध्य वाद हेतुक व कोर्ट फीस के विन्दु पर कोई विवाद नहीं है। जहां तक वाद वादीगण विधि से बर्जित होने का प्रश्न है। वादीगण ने अपना दावा अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर न्यायालय हाजा में पेश किया है। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन रहा कि वाद वादीगण अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा को आधार बनाकर पेश किया है जो अदालत के सुनवाई के क्षैत्राधिकार में नहीं है अपने कथन की पुष्टि में कानूनी नजीर आर आर टी 2012(1) पेज 332 की छाया प्रति पेश की है।

"जिसमें प्रकरण शैतान वगैरा बनाम मोहनलाल वगैरा में राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादित किया कि अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर घोषणा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है दस्तावेज "अस्तित्व में नहीं" श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जव वाद विधि द्वारा वर्जित है अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर घोषणा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में पोषनीय नहीं हे।"

उक्त कानूनी नजीर का अधिवक्ता वादीगण ने खण्डन नहीं किया है जो कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण वाद संख्या 1/30/2022 खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 15.05.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०